UPMO280040862024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- विनय कुमार जायसवाल(उ०प्र० न्यायिक सेवा UP 2109)

वाद संख्या 3495/2024

राज्य **प्रति** लवकुश।

अ०सं- 183/2024

धारा- 153 /174 सी रेल अधिनि**यम।**

आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद, आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर द्वारा अभियुक्त **लवकुश** विरुद्ध मु0 अ 0 सं0 183/2024 धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम के तहत परिवाद विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। परिवाद पर संज्ञान लिया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 09.05.2024 को सुबह 02–03 बजे धमौरा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्टील की पत्ती को रेलवे लाइन पर रखकर वहां का सिग्नल लाल करने का लाल करने का अपराध कारित किया गया जिससे स्पेशल गाड़ी 3256 रुक गयी। अभियुक्त द्वारा कारित उक्त कृत्य से रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को संकटापन्न तथा रेल आवागमन बाधित हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त जिला कारागार अलीगढ़ से न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र जेलर जिला कारागार, अलीगढ़ से अग्रसारित कराकर नयालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक **29.07.2024** से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। इस संबंध में अभियुक्त के स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु निम्नलिखित बयान अंकित किए गए।

प्रश्न 1– क्या आपके द्वारा उपरोक्त समय व स्थान पर उपरोक्त वर्णित अपराध को कारित किया गया। इस संबंध में क्या कहना है–

उत्तर– जी सही है।

प्रश्न 2– क्या आप स्वेच्छा से अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं?

उत्तर – जी हां।

प्रश्न 3– क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर– उत्तर जी बहुंत गरीब हूं, कम से कम दंड से दंडित करने की कृपा करें

सुनकर तस्दीक किया।

स्वेच्छा जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को लंच पश्चात सुना जाएगा।

दिनांक– 07.10.2024

(विनय कुमार जायसवाल)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP 2109

पत्रावली पुनः लंच पश्चात पेश हुयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में पेश।

दंड के प्रश्न पर मैने अभियुक्त तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिकतम प्रावधानित दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

वहीं अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया कि कि यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त पर उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वह बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक **29.07.2024** से जिला **कारागार अलीगढ़** में निरुद्ध है। वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा इस मुकदमे को चलाने में असमर्थ है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक **29.07.2024** से कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त आगे अपना मुकदमा चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। यह उसके जीवन की पहली गलती है। विधि का सुधारात्मक सिद्धांत यह कहता है कि" **यदि कोई अपनी गलती पर पश्चाताप करता है और सुधारना चाहता है तो जीवन में उसे इसका एक अवसर दिया जाना चाहिए।"** न्यायालय की राय में अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम हेतु दोषसिद्ध पर निम्न दंड से दंडित किया जाना विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **लवकुश** को मुकदमा अपराध संख्या 183/2024 धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा 153 रेल अधिनियम के अंतर्गत 06 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को दी गयी सजा में समायोजित किया जावे।

वहीं अभियुक्त को धारा 174 सी रेल अधिनियम के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1000/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 03 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त का सजायवी वारंट बनाकर अविलंब जिला कारागार अलीगढ़ प्रेषित किया जावे।

दिनांक 07.10.2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP 2109

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 07.10..2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

UPMO280040862024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- विनय कुमार जायसवाल(उ०प्र० न्यायिक सेवा UP 2109)

वाद संख्या 3495/2024

राज्य **प्रति** पिन्टू उर्फ योगेन्द्र

अ०सं- 183/2024

धारा- 153 /174 सी रेल अधिनि**यम।**

आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद, आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर द्वारा अभियुक्त **पिन्टू उर्फ योगेन्द्र** के विरुद्ध मु0अ0सं0 183/2024 धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम के तहत परिवाद विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। परिवाद पर संज्ञान लिया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 09.05.2024 को सुबह 02–03 बजे धमौरा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्टील की पत्ती को रेलवे लाइन पर रखकर वहां का सिग्नल लाल करने का लाल करने का अपराध कारित किया गया जिससे स्पेशल गाड़ी 3256 रुक गयी। अभियुक्त द्वारा कारित उक्त कृत्य से रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को संकटापन्न तथा रेल आवागमन बाधित हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त जिला कारागार अलीगढ़ से न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र जेलर जिला कारागार, अलीगढ़ से अग्रसारित कराकर नयालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 29.07.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। इस संबंध में अभियुक्त के स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु निम्नलिखित बयान अंकित किए गए।

प्रश्न 1– क्या आपके द्वारा उपरोक्त समय व स्थान पर उपरोक्त वर्णित अपराध को कारित किया गया। इस संबंध में क्या कहना है–

उत्तर– जी सही है।

प्रश्न 2– क्या आप स्वेच्छा से अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं?

उत्तर – जी हां।

प्रश्न 3– क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर– उत्तर जी बहुंत गरीब हूं, कम से कम दंड से दंडित करने की कृपा करें

सुनकर तस्दीक किया।

स्वेच्छा जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को लंच पश्चात सुना जाएगा।

दिनांक– 07.10.2024

(विनय कुमार जायसवाल)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP 2109

पत्रावली पुनः लंच पश्चात पेश हुयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में पेश।

दंड के प्रश्न पर मैने अभियुक्त तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिकतम प्रावधानित दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

वहीं अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया कि कि यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त पर उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वह बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक **29.07.2024** से जिला **कारागार अलीगढ़** में निरुद्ध है। वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा इस मुकदमे को चलाने में असमर्थ है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 29.07.**2024** से कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त आगे अपना मुकदमा चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। यह उसके जीवन की पहली गलती है। विधि का सुधारात्मक सिद्धांत यह कहता है कि" **यदि कोई अपनी गलती पर पश्चाताप करता है और सुधारना चाहता है तो जीवन में उसे इसका एक अवसर दिया जाना चाहिए।"** न्यायालय की राय में अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम हेतु दोषसिद्ध पर निम्न दंड से दंडित किया जाना विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **पिन्टू उर्फ योगेन्द्र** को मुकदमा अपराध संख्या 183/2024 धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा 153 रेल अधिनियम के अंतर्गत 06 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को दी गयी सजा में समायोजित किया जावे।

वहीं अभियुक्त को धारा 174 सी रेल अधिनियम के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1000/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 03 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त का सजायवी वारंट बनाकर अविलंब जिला कारागार अलीगढ़ प्रेषित किया जावे।

दिनांक 07.10.2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP 2109

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 07.10..2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP 2109

UPM0280040862024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- विनय कुमार जायसवाल(उ०प्र० न्यायिक सेवा UP 2109)

वाद संख्या 3495/2024

राज्य **प्रति** विवेक उर्फ पप्पी पुत्र सियाराम।
अ०सं- 183/2024
धारा- 153 /174 सी रेल अधिनि**यम।**
आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद, आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर द्वारा अभियुक्त **विवेक उर्फ पप्पी** के विरुद्ध मु0 अ 0 सं0 183/2024 धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम के तहत परिवाद विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। परिवाद पर संज्ञान लिया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 09.05.2024 को सुबह 02–03 बजे धमौरा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर स्टील की पत्ती को रेलवे लाइन पर रखकर वहां का सिग्नल लाल करने का लाल करने का अपराध कारित किया गया जिससे स्पेशल गाड़ी 3256 रुक गयी। अभियुक्त द्वारा कारित उक्त कृत्य से रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को संकटापन्न तथा रेल आवागमन बाधित हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त जिला कारागार अलीगढ़ से न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र जेलर जिला कारागार, अलीगढ़ से अग्रसारित कराकर नयालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 18.06.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। इस संबंध में अभियुक्त के स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु निम्नलिखित बयान अंकित किए गए।

प्रश्न 1– क्या आपके द्वारा उपरोक्त समय व स्थान पर उपरोक्त वर्णित अपराध को कारित किया गया। इस संबंध में क्या कहना है–

उत्तर– जी सही है।

प्रश्न 2– क्या आप स्वेच्छा से अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं?

उत्तर – जी हां।

प्रश्न 3– क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर– उत्तर जी बहुंत गरीब हूं, कम से कम दंड से दंडित करने की कृपा करें

सुनकर तस्दीक किया।

स्वेच्छा जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को लंच पश्चात सुना जाएगा।

दिनांक– 07.10.2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP 2109

पत्रावली पुनः लंच पश्चात पेश हुयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में पेश।

दंड के प्रश्न पर मैने अभियुक्त तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिकतम प्रावधानित दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

वहीं अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया कि कि यह उसका प्रथम अपराध है। अभियुक्त पर उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, वह बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक **18.06.2024** से जिला **कारागार अलीगढ़** में निरुद्ध है। वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा इस मुकदमे को चलाने में असमर्थ है। वह प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 18.06.**2024** से कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त आगे अपना मुकदमा चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपना जुर्म इकबाल कर रहा है। यह उसके जीवन की पहली गलती है। विधि का सुधारात्मक सिद्धांत यह कहता है कि" **यदि कोई अपनी गलती पर पश्चाताप करता है और सुधारना चाहता है तो जीवन में उसे इसका एक अवसर दिया जाना चाहिए।"** न्यायालय की राय में अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम हेतु दोषसिद्ध पर निम्न दंड से दंडित किया जाना विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **विवेक उर्फ पप्पी** को मुकदमा अपराध संख्या 183/2024 धारा– 153/174 सी रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा 153 रेल अधिनियम के अंतर्गत 06 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि को दी गयी सजा में समायोजित किया जावे।

वहीं अभियुक्त को धारा 174 सी रेल अधिनियम के अंतर्गत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1000/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 03 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त का सजायवी वारंट बनाकर अविलंब जिला कारागार अलीगढ़ प्रेषित किया जावे।

दिनांक 07.10.2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP 2109

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 07.10..2024

(विनय कुमार जायसवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP 2109